

प्रारूप-3

परियोजना विवरण :- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी मे हमराऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी)

भाग-II (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7.

परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

- i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र
- ii) जिला
- iii) जिला वन प्रभाग
- iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का :-
पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति:

:-	हमराऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग
:-	उत्तराखण्ड
:-	देहरादून
:-	चकराता वन प्रभाग चकराता
:-	0.665 हेटो
	सिविल सोयम भूमि

9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:

- i) वन का प्रकार
- ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व
- iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना
- iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

परिकल्पना 0.665 हेटो
 $\frac{0.2}{1.065} = 19\% \text{ क्षेत्र}$ हेटो

10. भूक्षण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी:-

1.065 हेटो लंबाग

11. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली :- प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :

नहीं
 $\frac{0.165}{0.165} = 100\% \text{ क्षेत्र}$

12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित :- वन भूमि की महत्वता :

नहीं

i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के :- लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा :

नहीं

ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र-रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियां उपावद्ध की जाए)

iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण :- व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियां उपावद्ध की जाए)

नहीं

(iv) वया राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यासण जैव क्षेत्र आरक्षण—
व्याघ रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्पादन आदि पूर्वोक्त के
लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक
किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बारे और
मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)

वार्ड

वार्ड

13. (v) वया क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु को अलग या खतरे में
अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके बारे
वया क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या पिरासत स्थल या—
प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संरक्षक अवस्थित है (यदि
ऐसा है तो उपावद्ध किए जाने के लिए सामग्री वा
अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ री) के साथ उसका ब्लौरा दे)

वार्ड

वार्ड

वार्ड

वार्ड

वार्ड

वार्ड

वार्ड

हस्ताक्षर

वार्ड

नाम (कृष्ण-वर्म शास्त्री)
सरकारी मोहरप्रियांशु यन्माधिकारी
चक्रवात वन प्रभाग
चक्रवात

14. पूर्वोक्त के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के—
विस्तार की सुवित्त्युक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दे :

(i) वया भाग— 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोजन अभिकरण द्वारा—
यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के
लि

(ii) यदि नहीं तो, वन भूमि के सिफारिश कि

किए गए अतिकम्ण के बारे :

(i) वया अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक शिल्दांतों के—
अतिकम्ण में किसी कार्य को किया गया है (हा/नहीं)

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकम्ण में अंतर्विलित वन भूमि,
अतिकम्ण के लि

(iii) वया अतिकम्ण में कार्य अब भी प्रगति में है (हा/नहीं)

(iv) वया अतिकम्ण में कार्य अब भी प्रगति में नहीं (हां/नहीं)

(v) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय—
सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के
बारे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(vi) वया क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से—
सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की
स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हा/नहीं)।

18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन—
संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों पर
*मान्त्रिक विभाग की तुम्हारी उम्मेद का आवाह पर
मौत्तुकी वा गाती हूँ,*

दिनांक 3-11-2020

स्थान *मान्त्रिक*

*मान्त्रिक विभाग की तुम्हारी उम्मेद का आवाह पर
मौत्तुकी वा गाती हूँ*

नाम (कृष्ण-वर्म शास्त्री)

सरकारी मोहर

प्रियांशु यन्माधिकारी
चक्रवात वन प्रभाग
चक्रवात